

क्र. एफ. 15-31-2007-दस-2.—चूंकि, राज्य शासन का यह मत है कि नीचे दिये गये परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र, बाघ, अन्य मांसाहारी वन्यप्राणियों तथा उनके रहवास एवं पर्यावरण के संरक्षण के प्रयोजन के लिए पर्याप्त महत्व का होने के कारण इसे अक्षुण्य बनाया जाना आवश्यक है.

राज्य शासन, एतद्वारा, इस क्षेत्र को वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा-संशोधित 2006) की धारा 38V द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए निम्न परिशिष्ट में दर्शाये क्षेत्रों को (पचमढ़ी नगर, साडा एवं छावनी क्षेत्र को छोड़कर) सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का कोर क्षेत्र घोषित करता है :—

**परिशिष्ट**

जिला— होशंगाबाद

संरक्षित क्षेत्र—सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बोरी अभ्यारण्य एवं पचमढ़ी अभ्यारण्य

टाइगर रिजर्व का नाम—सतपुड़ा टाइगर रिजर्व

क्षेत्रफल—133926.402 हेक्टेयर.

**सम्मिलित क्षेत्र का विवरण**

क्र.	संरक्षित क्षेत्र	आरक्षित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	संरक्षित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अन्य क्षेत्र (हेक्टेयर में)	योग (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान	38169.214	9825.099	393.953	48388.266
2	बोरी अभ्यारण्य	43779.313	0.00	0.00	43779.313
3	सतपुड़ा अभ्यारण्य	16078.228	23057.182	2623.413	41758.823
	योग	98026.755	32882.281	3017.366	133926.402

**सीमाएं**

उत्तर—एक काल्पनिक एवं अस्थिर रेखा जो तबा-देनवा नदी के संगम से कक्ष क्र. 367 तक, देनवा नदी के दक्षिणी किनारे पर जलाशय के पानी की सीमा के समानांतर 200 मीटर की दूरी पर (पानी के अंदर) गुजरती है, पश्चात् पचमढ़ी अभ्यारण्य की सीमा, जो कि आरक्षित वन के कक्ष क्रमांक 367, 363, 349, 345 एवं 346 की पश्चिमी सीमा बनती है. पश्चात् RF /PF सीमा लाईन कक्ष क्रमांक 346 से 430 तक, पश्चात् कक्ष क्रमांक 430 में वन ग्राम झिरिया को कोर क्षेत्र के बाहर करते हुए पुनः RF /PF लाईन कक्ष क्रमांक 437 से 455 तक, पश्चात् कक्ष क्रमांक P-212 एवं P-213 की संरक्षित वन की उत्तरी सीमा.

पूर्व—कक्ष क्र. P-212 एवं P-213 की दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. P-215 की दक्षिणी तथा पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र. P-217 की दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. P-218 की पूर्व एवं दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. P-219 की पूर्वी एवं दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. P-220 की दक्षिणी सीमा पश्चात् कक्ष क्र. P-221 की उत्तरी एवं पूर्वी सीमा देनवा नदी के मध्य तक, पश्चात् मध्य देनवा नदी ग्राम छिरई के दक्षिणी पूर्वी कोने तक, पश्चात् कक्ष क्र. P-224 एवं P-223 की सीमा के साथ-साथ ग्राम छिरई की सीमा, पश्चात् कक्ष क्र. P-223 की पश्चिमी सीमा हार्टिकल्चर विभाग के उद्यान को बाहर करते हुए, पश्चात् कक्ष क्र. P-223 एवं P-224 की उत्तरी सीमा पश्चात् होशंगाबाद-छिन्दवाड़ा जिला सीमा, पश्चात् कक्ष क्र.

P-290 से P-278 तक होशंगाबाद-छिन्दवाड़ा जिले की सीमा नेकसा टोला, मानाकछार टोला एवं फिफेरी टोला को बाहर करते हुए,

**दक्षिण**—होशंगाबाद-छिन्दवाड़ा जिला सीमा पर कक्ष क्र. P-277 एवं P-278 के मिलान बिन्दु से कक्ष क्र. P-277, P-276, P-275 एवं P-274 की उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. P-272 की उत्तरी पश्चिमी सीमा पश्चात् कक्ष क्र. P-271 की उत्तरी सीमा जो कक्ष क्र. P-253 की सीमा से मिलती है, पश्चात् कक्ष क्र. P-253 एवं कक्ष क्र. P-271 के मध्य की सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान एवं पंचमढ़ी अभ्यारण्य की सीमा के जिला होशंगाबाद-छिन्दवाड़ा जिला सीमा तक की सीमा, पश्चात् छिन्दवाड़ा-होशंगाबाद जिला सीमा एवं तवा नदी तक होशंगाबाद-बैतूल जिला सीमा.

**पश्चिम**—एक काल्पनिक एवं अस्थिर रेखा जो तवा नदी, जो कक्ष क्र. 181, 184, 185 एवं 183 की पश्चिमी सीमा बनाती है के पूर्वी किनारे के साथ जलाशय के पानी की सीमा के 200 मीटर अंदर एवं पानी के किनारे के समानांतर, कक्ष क्र. 183, 182 की उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. 176 एवं 175 की पश्चिमी सीमा एवं कक्ष क्र. 168 की उत्तरी सीमा से गुजरने वाली कोती नदी तक की सीमा पश्चात् मध्य तवा नदी तक कोती नदी के मध्य की सीमा पश्चात् तवा नदी के पूर्वी किनारे से 200 मी. की दूरी तवा डूब से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा तवा-देनवा नदी के संगम तक.

**टीप**—टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र का क्षेत्रफल देनवा एवं तवा नदियों की मध्य रेखाओं को क्रमशः उत्तरी एवं पश्चिमी सीमाएं मानकर आंकलित किया गया है.

No. F-15-31-2007-X-2.—WHEREAS, the Government of Madhya Pradesh considers that the area specified in the Schedule below is a critical tiger habitat and is of adequate ecological, faunal and floral significance, to be kept inviolate for the purposes of conservation of tiger, other predators, their prey base, and their habitat and environment.

THEREFORE, in exercise of the powers conferred under Section 38V of Wildlife (Protection) Act, 1972, the Government of Madhya Pradesh hereby declares the area specified in the Schedule below (except the Pachmarhi Township, including the Cantonment and SADA areas) as the Core area of **Satpura Tiger Reserve**:—

SCHEDULE

**District**—Hoshangabad

**Protected Areas**—Satpura National Park, Bori Wildlife Sanctuary and Pachmarhi Wildlife Sanctuary

**Name of Tiger Reserve**—Satpura Tiger Reserve

**Total Area**—133926.402 Hectares.

AREAS INCLUDED

S.No.	Protected Area	Reserved Forest (in Hectare)	Protected Forest (in Hectare)	Revenue Land including private land (in Hectare)	Total (in Hectare)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Satpura National Park	38169.214	9825.099	393.953	48388.266
2	Bori Wildlife Sanctuary	43779.313	0.00	0.00	43779.313
3	Pachmarhi Wildlife Sanctuary	16078.228	23057.182	2623.413	41758.823
Total		98026.755	32882.281	3017.366	133926.402

492

## BOUNDARIES

**North**—An imaginary floating/shifting line passing 200 m inside the water, parallel to the waterfront of the Tawa reservoir, along southern bank of the Denwa River, from Tawa-Denwa junction till Comptt. No. 367, thereafter boundary of Pachmarhi Sanctuary which passes through western boundary of Compartment No. 367, 363, 349, 345 & 346, thereafter Reserve Forest & Protected Forest line from Comptt. No. 346 to 430. In Comptt. 430. boundary line of RF-PF line, excluding area of FV Jhiria & then again RF-PF line from comptt. 437 to comptt. No. 455, thereafter the Northern boundary of Protected forest Comptt. No. 212 & 213.

**East**—Southern boundary of Comptt. No. 213 & 212, Southern & Western boundary of Comptt. No. 215, Southern boundary of Comptt. No. 217, Eastern & Southern boundary of Comptt. No. 218 Eastern & Southern boundary of Comptt. No. 219 & Southern boundary of Comptt. No. 220, thereafter Northern & Eastern boundary of Comptt. No. 221 up to mid Denwa River, thereafter mid Denwa River up to southern-eastern corner of Chhirrai village boundary, then Chhirrai village boundary along with Comptt. No. 224 and 223 and thereafter western boundary of Comptt. No. 223, excluding horticulture garden and then northern boundary of Comptt. No. 223 and 224, and thereafter Hoshangabad-Chhindwara district boundary, thereafter District boundary of Hoshangabad and Chhindwara districts from Comptt. No. 290 to 270, excluding hamlets (Tolas) Neksa, Manakachhar and Fiferi.

**South**—From junction of Comptt. No. 277 & 278 on Hoshangabad-Chhindwara district boundary, northern boundaries of Comptt. Nos. P-277, P-276, P-275 & P-274 and northern & western boundary Comptt. No. P-272 thereafter northern boundary of Comptt. No. 271 up to the point where it meets Comptt. No. 253 and then along the boundary of Satpura National Park & Pachmarhi Sanctuary between Compartment No. 253 and 271 till District boundary of Hoshangabad-Chhindwara, thereafter Chhindwara-Hoshangabad district boundary and Hoshangabad-Betul district boundary up to Tawa River.

**West**—An imaginary floating/shifting line passing 200 m inside the water, and running parallel to the eastern waterfront of the Tawa reservoir, along eastern bank of the Tawa River which makes western boundary of Comptt. No. 181, 184, 185 & 183 of Bori Sanctuary, thereafter the boundary passes through northern boundary of Comptt. No. 183, 182 & western boundary of Comptt. No. 176, 175 and northern boundary of 168 Comptt. up to Koti river, then mid of Koti river up to Tawa river & thereafter mid of Tawa river up to Denwa river junction.

**Note**—The area of the core of the tiger reserve has been computed using the mid river line of the Denwa and Tawa rivers as the northern and southern boundaries.

क्र. एफ. 15-31-2007-दस-2.—चूंकि, राज्य शासन का यह मत है कि नीचे दिये गये परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र, बाघ, अन्य मांसाहारी वन्यप्राणियों तथा उनके रहवास एवं पर्यावरण के संरक्षण के प्रयोजन के लिए पर्याप्त महत्व का होने के कारण इसे अधुण्य बनाया जाना आवश्यक है.

राज्य शासन, एतद्वारा, इस क्षेत्र को वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा-संशोधित 2006) की धारा 38V द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न परिशिष्ट में दशाये क्षेत्रों को पन्ना टाईगर रिजर्व का कोर क्षेत्र घोषित करता है:—

## परिशिष्ट

जिला—पन्ना एवं छतरपुर

संरक्षित क्षेत्र—पन्ना राष्ट्रीय उद्यान एवं पन्ना (गंगरू) अभ्यारण्य.

टाईगर रिजर्व का नाम.—पन्ना टाईगर रिजर्व

क्षेत्रफल.—57613.11 हेक्टेयर

## सम्मिलित क्षेत्र का विवरण

क्र.	संरक्षित क्षेत्र	आरक्षित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	संरक्षित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अन्य क्षेत्र (हेक्टेयर में)	योग (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पन्ना राष्ट्रीय उद्यान	26368.64	24586.99	3310.63	54266.26
2.	पन्ना (गंगऊ) अभ्यारण्य	1819.19	1527.66	0.00	3346.85
योग . .		28187.83	26114.65	3310.63	57613.11

## सीमाएं

**उत्तर**—पुरवाहा नाला केन नदी तक जो छतरपुर वन मण्डल के संरक्षित वन खण्ड सीलों सलैया के कक्ष क्रमांक 552, 553, 550, 549, 545 की उत्तरी सीमा बनाती है. केन नदी के दोनों किनारे पन्ना उत्तर वन मण्डल के आरक्षित वन खण्ड पीपरटोला बड़ौर की सीमा स्तम्भ क्रमांक 1 से 67 तक छतरपुर वन मण्डल के संरक्षित वन खण्ड बरबसपुरा की पूर्वी सीमा लाइन, छतरपुर वन मण्डल के संरक्षित वन खण्ड क्रमांक पाटन "अ" एवं पाटन "ब" की मध्यस्थ सीमा रेखा, छतरपुर वन मण्डल के संरक्षित वन खण्ड पाटन "अ" की उत्तरी सीमा लाइन, संरक्षित वन खण्ड अर्जुनहाई की उत्तरी सीमा लाइन, केन नदी तक बहारगंज ग्राम की आंतरिक सीमा रेखाएं स्तम्भ क्रमांक 7 से 21 तक (विपरीत दिशा) केन नदी ग्राम मड़ला की आंतरिक सीमा रेखा केन नदी से पन्ना-छतरपुर राजमार्ग तक जिसमें उत्तर पन्ना वन मण्डल के आरक्षित वन खण्ड, पीपरटोला बड़ौर के स्तम्भ क्रमांक 146 से 178 तक आते हैं. कक्ष क्रमांक 242, 248, 247, 246, 264, 262, 263 की सीमा आरक्षित वन खण्ड हरसा स्तम्भ क्रमांक 120 से 205 तक तथा वन खण्ड छपर के स्तम्भ क्रमांक 1 से 54, पन्ना-छतरपुर राजमार्ग तक उत्तरी सीमा निर्धारित होती है.

**पूर्व**—पन्ना राष्ट्रीय उद्यान/पन्ना (गंगऊ) अभ्यारण्य के आरक्षित वन खण्ड हरसा की सीमा लाइन स्तम्भ क्रमांक 30 से 54 तक पन्ना-छतरपुर राजमार्ग जो आरक्षित वन खण्ड जो पीपरटोला बड़ौर की सीमा लाइन स्तम्भ क्रमांक 186 से 179 तक बनाती है, कट लाइन जो आरक्षित वन खण्ड पीपरटोला बड़ौर से गुजरते हुये कक्ष क्रमांक 252, 253, 254 की दक्षिणी सीमा बनाती है, ग्राम उमरावन की पूर्वी उत्तरी सीमा स्तम्भ क्रमांक 1 से 14 (एण्टीक्लाक वाईज) कक्ष क्रमांक 244, 245 की पूर्वी सीमा ग्राम बड़ौर की आंतरिक सीमा स्तम्भ क्रमांक 26 से 23 विपरीत दिशा में कक्ष क्रमांक 240 की दक्षिणी सीमा कक्ष क्रमांक 539, 532, 535, 537, 541 की सीमा बनाती है. कक्ष क्रमांक 540 में मझगाँवाँ नाला जो कैमासन नाला संगम तक सीमा बनाती है. कक्ष क्रमांक 544 की दक्षिणी-पूर्वी सीमा कच्चा नाला जो कक्ष क्रमांक 547 एवं 548 को उत्तरी सीमा बनाते हुये पीपरटोला बड़ौर के आरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 241 तक है. आरक्षित वन खण्ड पीपरटोला बड़ौर की सीमा लाइन स्तम्भ क्रमांक 241 से 243 तक ग्राम जरधोबा की दक्षिणी सीमा जो स्तम्भ क्रमांक 35 से 22 तक जाती है, जरधोबा नाला जो कक्ष क्रमांक 392 की दक्षिणी सीमा बनाते हुए, पन्ना-कटनी रोड रमपुरा-मझौली वन मार्ग के संगम तक.

**दक्षिण**—कक्ष क्रमांक 1365, 1364 का उत्तरी सीमा ग्राम रमपुरा कण्डवाहा का आंतरिक सीमांकित रेखा, रमपुरा गहदरा वन मार्ग कक्ष क्रमांक 1352, 1341, 1334 का उत्तरी सीमा बनाते हुए, ग्राम कुन्दन की आंतरिक सीमा रेखा, कक्ष क्रमांक 1335, 1337, 1327 ग्राम गहदरा के आंतरिक सीमांकित रेखा कक्ष क्रमांक 1305, 1304 ग्राम बिलाटा एवं कटेरी के आंतरिक सीमांकित रेखा वन खण्ड पीपरटोला-रमपुरा की मध्यान्तर रेखा ग्राम डोहो तक पीपरटोला अमानगंज वन खण्ड के मध्यान्तर रेखा केन नदी तक जो हिनौता परिक्षेत्र की सीमा बनाती है.

**पश्चिम**—संरक्षित वन खण्ड किशनगढ़ के कक्ष क्रमांक 485, 486 की पूर्वी सीमा लाइन बुराणा नदी कक्ष क्रमांक 493, 496 की पूर्वी सीमा, ककरा नदी, ग्राम ककरा की उत्तरी-पश्चिमी सीमा लाइन, संरक्षित वन खण्ड किशनगढ़ की सीमा लाइन, जो कक्ष क्रमांक 504, 507, 508 की दक्षिणी सीमा बनाती है. कट लाइन कक्ष क्रमांक 508 को काटते हुए सियामरी नदी में मिलती है. बृजपुरा से सुकवाहा जाने वाली सड़क का अनुरक्षण करती है. सियामरी नदी सुकवाहा छतरपुर वन मण्डल के संरक्षित वन खण्ड पलकौहा सीमा लाइन बनाती है. सुकवाहा नाला कक्ष क्रमांक 535, 533 की पूर्वी सीमा बनाते हुए कक्ष क्रमांक 532 को काटते हुए कट लाइन जो सुकवाहा नाले से प्रारम्भ होकर पुरवराहा नदी में कक्ष क्रमांक 532 एवं 552 को काटते हुए गिरती है.